न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान –

1- झन्डूराम पुत्र श्री हुणताराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान ।

.............वादी..........

बनाम-

1- सोहनलाल पुत्र घारूराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

2- मुन्शीराम पुत्र घारूराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

3- मुकनाराम पुत्र घारूराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

4- किशोर पुत्र घारूराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

5- पृथ्वीराज पुत्र श्री सतपाल जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

6- रामसिंह पुत्र सतपाल जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान –

7- रामप्रकाश पुत्र वनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

8- पवनकुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ

9- घनश्याम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान

10- लेखराम पुत्र श्री गोपालराम जाति मेघवाल निवासी 2 एल.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।

11- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

.......प्रतिवादीगण....

उपस्थित :-

01- श्री रामामिलाप बिश्नोई, दलीप सिंह राठोड़ वकील वादीगण

02- श्री नवीन मिढ्ढा, वकील प्रतिवादीगण

03- पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ... 151 सी.पी.सी.)

प्रकरण संख्या – 01/2024 ... निर्णय दिनांक – 6/12/24

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :-

वादी के द्वारा हस्तगत वाद पत्र माननीय न्यायालय में धारा 88, 53, 188, 92 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य के तथ्य वाद पत्र में अभिलिखित कर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया है कि वादी झण्डूराम के नाम से चक 2 एल.जी.एम. के मुरव्बा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 247/422 के किला नम्बर 1 ता 4/1, किला नम्बर 7/2 ता 14/1, किला नम्बर 17/2 ता 24/1 तक कुल 4.1320 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड भूमि में से 1.770 हैक्टर (करीब 7 बीघा) कमाण्ड भूमि का और 2.362 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि का खातेदार टेनन्ट है और वादी के द्वारा अपने हस्तगत वाद पत्र में इस आश्य का अनुतोष चाहा है कि वादी को वादाधीन भूमि चक 2 एल.जी.एम. के मुरव्वा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 247/422 के किला नम्बर 1 ता 3, किला नम्बर 4/1, 7/2 किला नम्बर 8 ता 13, किला नम्बर 14/1, किला नम्बर 17/2, किला नम्बर 18 ता 20, किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/1 तक कुल 4.1320 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मे से 9 बीघा कमाण्ड भूमि का खातेदार टेनन्ट घोषित किया जावें और वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी अधियाचित किया गया है।

वादी झण्डूराम अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 2 एल.जी.एम.के मुरव्वा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 247/422 के किला नम्बर 1 ता 4/1, किला नम्बर 7/2 ता 14/1, किला नम्बर 17/2 ता 24/1 तक कुल 4.1320 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में से 1.770 हैक्टर कमाण्ड (करीब 7 बीघा भूमि का और 2.362 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि का खातेदार टेनन्ट है न कि वादी झण्डूराम 9 बीघा कमाण्ड भूमि का खातेदार टेनेन्ट है जबकि वादी के द्वारा अपने हस्तगत वाद पत्र में 9 बीघा कमाण्ड भूमि का अपने आप को खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष माननीय न्यायालय से चाहा है। इस प्रकार वादी हस्तगत वाद के माध्यम से बोगस अनुतोष की मांग कर रहा है जिससे वह विधिक रूप से कतई प्राप्त करने का अधिकारी नही है और ना ही इस तरह का कोई अनुतोष माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करने में सक्षम है।

माननीय न्यायालय को सिंचाई पानी से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई करने वा भूमि की किस्म को अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित करने का और ना ही किसी रकवा के सिंचाई पानी को काट कर अन्य किसी रकवा में बांधने का अधिकार क्षेत्र हासिल नही होने के कारण वाद पत्र राजस्थान सिंचाई मैनूयल के विधिक प्रावधानो के तहत इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 एंव सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत निरस्त होने योग्य है। किसी रकवा के राजस्व रिकार्ड में कोई किलाजात अनकमाण्ड अंकित है और वह किलाजात सिचाई विभाग के कमाण्ड/अनकमाण्ड रिकार्ड में कमाण्ड दर्शित है ऐसी स्थिति में उस अनकमाण्ड किलाजात को राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में दुरूस्त करवाकर कमाण्ड अंकित करवाने की विधिक प्रक्रिया राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 177 (क) में वर्णित है जब प्रभावी आनुकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में वादी को कोई भी वादकारण मौजूदा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने का कतई हासिल नही होता है एंव ना ही वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से कोई वाद हेतुक प्रतिवादीगण मुजीब के विरूद्ध प्रकट होता है। वादी का मौजूदा वाद, वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता विधि का सुःस्थापित सिद्धान्त है कि वाद कारण प्राप्त ना होने एंव वाद के विधि से बाधित होने की स्थिति में बिना आयन्दा विचारण वाद को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ पर वाद विधि बाधित होने के फलस्वरूप एंव वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के तहत बिना [illegible] इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के योग्य है

विधि के आज्ञापक प्रावधान एंव आदेश 7 नियम [illegible] धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस क्लेम पर आधारित वादो को प्रथम स्तर पर ही [illegible] देना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे कि अनावश्यक न्यायालयो का समय नष्ट ना हो अथवा वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष

विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्राप्त करने का अधिकारी नही है अथवा प्रथम–ष्टया विचारण हेतू कोई आधार नहीं बनता है तो ऐसे वादो को बिना प्रतिवादी को तलव किये अथवा प्रतिवादी के तलब होकर आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी का प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय का सर्वप्रथम दायित्व ऐसे तुच्छ वादो को बिना आयन्दा विचारण किये प्रारम्भिक अवस्था में ही विधिसम्मत आदेश के अधीन दवा दिये जाने का अर्थात निरस्त कर देने का है।

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार ही वाद प्रस्तुत कर सकता है जबकि वादी हम प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नही है और ना ही सहकाश्तकार है और ना ही भूमि वर्तमान में सयुंक्त खाता की है वरन् वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक किलाजात जमाबन्दी में दर्ज है और ना ही प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के सन्दर्भ में वादी के कोई अधिकार उत्पन हो रहे है ऐसी स्थिति में वादी धारा 88-53-188-92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का कतई विधिक अधिकारी नही होने के कारण मौजूदा वाद पूर्णतयः थ्तपअवसवने एंव न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो विधिक रूप से पोषनीय नही है तथा इसी स्तर पर काबिले निरस्ती के है।

मौजूदा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है। जिनका सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना है इस हेतु कानूनन किसी भी प्रकार से जवाव दावा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके निस्तारण के उपरान्त ही वाद के गुणावगुण के सम्बन्ध में आयन्दा विचारण किया जा सकता है। प्रतिवादीगण इस विधिक अधिकार के अधीन अपने [illegible]त तथ्यो के आधार पर जवावदावा प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए [illegible] मौजूदा आवेदन प्रस्तुत कर रहा है-

[illegible] पत्र विधिक बिन्दुओ एंव सद्भावी तथ्यो पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे निर्णित [illegible] का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है।

लिहाजा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अनवानी वाद पत्र को इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब वादीगण वकील द्वारा पेश कर कथन किया कि वादी एंव प्रतिवादीगणों के पूर्वजों हुणता राम पुत्र कानाराम के नाम से चक 2 एल.जी.एम. मे वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई थी। जो कि हुणता राम के फौत होने के पश्चात हुणता राम के वारिसान के पास विरासतन आ गई। हुणता राम के तीन पुत्रो झण्डू राम, धर्माराम व घारूराम ने सहमति से आपस मे आज से करीब 20 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा किया था उसके आधार पर ही तीनों के अलग अलग किलाजात दर्ज करवाये गये जिसमे लिखापढी भी तहसील परिसर मे की गई थी। धर्माराम पुत्र हुणता राम के फौत होने के पश्चात प्रतिवादी सं0 1 ता 4 उसके विधिक अधिकारी है। तथा घारूराम ने आपसी बंटवारा के पश्चात अपनी जमीन जरिये दान पात्र अपने पोतो प्रतिवादीगण सं0 05 ता 10 के नाम से करवा दी थी। उक्त बंटवारे के अनुसार झण्डूराम के हिस्से मे 7 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि तथा घारूराम व धर्माराम के हिस्से मे 10-10 बीघा कमाण्ड भूमि पर सहमति कर आपसी लिखा पढी की गई जिसमे धर्माराम व घारूराम ने यह सहमति दी थी कि झण्डूराम को हम दोनो 1-1 बीघा का सिचांई पानी देगें। ताकि हम तीनों [illegible]-9 बीघा का सिंचाई पानी वरावर बराबर आ जायेगा। उक्त सिचाई [illegible] पिछले 20 वर्षो से करता आ रहा है। परन्तु धर्माराम [illegible] 5 ता 10 ने उक्त लिखापढी को मानने से इन्कार कर दिया। जबकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपनी लिखित सहमति 1 बीघा का पानी सिचाई पानी झण्डूराम को देने हेतू अपनी सहमति प्रदान की थी। वादी एंव घारूराम, धर्माराम मुताबिक बंटवारा काबिज होकर काश्त कर रहे है व उक्त भूमि में प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:37 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

सुविधाओ पानीबारी व अन्य सुविधाओ का उपयोग उपभोग भी इसी बंटवारा अनुसार ही निरन्तर पिछले अर्सा करीब 20 वर्ष से करते आ रहे है। इस प्रकार वादी वर्णित अपना रकबा में 9.00 बीघा कमाण्ड भूमि का खातेदार टेनेन्ट है। चूँकि वर्तमान में वादी के भाईयों घारूराम व धर्माराम का देहान्त हो चुका है एंव प्रतिवादीगण को जो कि उनके उत्तराधिकारी है व भूमि उनके नाम से दर्ज हो चुकी है जो कि उन्हे उक्त भूमि पूर्वजो से उक्त बंटवारा की पालना में प्राप्त हुई है जो कि उक्त बंटवारा इसी शर्त के अधीन था कि वादी एंव धर्माराम व घारूराम समान 9-9बीघा की बारी हमेशा प्राप्त करेगे व इसी अनुसार पिछले 20 वर्षो से प्राप्त करते आ रहे है व पानीबारी भी वादी के नाम से 9.00 बीघा की प्राप्त होती आ रही है वादी के द्वारा उक्त सुविधा का उपयोग अपने रकबा में करते हुए भूमि में अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च भूमि को सुधार लिया है जिसे देखकर प्रतिवादीगण के मन में लालच व बेईमानी आ गयी है व प्रतिवादीगण के द्वारा अर्सा करीब एक माह पूर्व उक्त बंटवारा को मानने से इन्कार करते हुए बंटवारा अनुसार प्राप्त हो रही 1-1 बीघा बारी को देने से इन्कार करने लगे व जिस पर दिनांक 20.12. 2023 को पंचायत कर उन्हे समझाया व दिनांक 24.12.2023 को जब अपने खेत में बंटवारा अनुसार पानी लगा रहा था तो समय पूर्व ही प्रतिवादीगण के द्वारा बारी अपने रकबा में तोडकर बंटवारा को मानने से इन्कार कर दिया जिस पर वादी ने पुनः पंचायत कर उन्हे समझाया तो प्रतिवादीगण ने बात मानने से इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि वे उक्त भूमि जो वर्तमान में उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है को अन्य किसी को रहन, विकय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर देगे व वादी को बंटवारा अनुसार प्राप्त हो रही सुविधा से जबरन बलपूर्वक विधि विरूद्ध तरीको से वंचित कर देगे। [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 5 ता 10 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व 11 एंव धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाकर जवाब खर्च वादी को प्रतिवादीगण सं0 5 ता 10 से दिलवाया जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकिंत को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एंव संलग्न जमाबन्दीयो का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वर्णित जमावन्दीयो के मुताबिक वादी वा प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम से विशेष मुरब्बाजात एंव विशेष किलाजात की भूमि का पृथक-पृथक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदारान इन्द्राज दर्ज होकर पृथक से लगान प्रत्येक खातेदारान के नाम निर्धारित किया हुआ है। वादी झण्डूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चक 2 एल.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 31 पत्थर नम्बर 247/422 के किला नम्बर 1 ता 4/1, किला नम्बर 7/2 ता 14/1, किला नम्बर 17/2 ता 24/1 तक कुल 4.1320 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि में से 1.770 हैक्टर (करीब 7 बीघा) कमाण्ड भूमि का और 2.362 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि का खातेदार टेनन्ट है न कि वादी झण्डूराम 9 बीघा कमाण्ड भूमि का खातेदार टेनेन्ट है। वादी मौजूदा वाद में अपने नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वर्णित कमाण्ड/अनकमाण्ड किलाजात भूमि की किस्म से हटकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के कमाण्ड [illegible] के सिंचाई पानी को कटवाकर वादी अपने नाम दर्ज किलाजात के रकबा में बंधवाकर 7 बीघा [illegible] रकबा की बजाय अपने रकबा की जमाबन्दी में कुल 9 बीघा रकबा [illegible] का कतई विधिक अधिकारी नही है और ना ही इस न्यायालय को अधिकार [illegible] है और ना ही इस तरह के कोई विधिक प्रावधान है कि प्रतिवादीगण के रकबा के [illegible]ण्ड किलाजात का सिंचाई पानी काट कर वादी के रकबा के अनकमाण्ड किलाजात के लिए बांधना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो और ना हो वादी को किसी भी प्रकार के कोई हक वा अधिकार प्रतिवादीगण के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर
उपखण्ड अधिकारी विजयनगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:37 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

नाम दर्ज उनके रकबा के किलाजात की सिंचाई पानी की सुविधा को कम करने बावत हासिल होते है। जितनी भूमि जिस खातेदारान के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के रूप में दर्ज हैं और उसी मुताबिक प्रत्येक खातेदारान अपने नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि को कमाण्ड/अनकमाण्ड की किस्म मुताबिक सिचाई विभाग से मिलने वाली सिंचाई पानी की सुविधा को प्राप्त कर रहे है। हस्तगत वाद में वर्णित अभिवचनो एंव अनुतोष के अवलोकन मुताबिक वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वर्णित कमाण्ड/ अनकमाण्ड रकबा से बढकर 9 बीघा कमाण्ड रकबा का अपने आपको खातेदार घोषित करवाना चाहता है जबकि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुल कमाण्ड /अनकमाण्ड रकबा में 9 बीघा रकबा कमाण्ड है ही नही और ना ही इस न्यायालय से हस्तगत वाद के माध्यम से इस तरह की घोषणा करवाई जा सकती है और ना ही किसी रकबा को मिल रही सिंचाई पानी की सुविधा किसी भी प्रकार से विभाजन की विषय वस्तु है और ना ही किसी रकबा का सिंचाई पानी काट कर अन्य रकवा में बांधने का इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार है। न्यायालय को सिंचाई पानी से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई करने वा भूमि की किस्म को अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित करने का और ना ही किसी रकबा का सिंचाई पानी काट कर अन्य रकबा में बांधने का अधिकार क्षेत्र हासिल नही होने के कारण वाद पत्र राजस्थान सिंचाई मैनूयल के विधिक प्रावधानो के तहत एंव वाद कारण के अभाव में निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई भी वादकारण मौजूदा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने का कतई हासिल नही होता है ना ही वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से कोई वाद हेतुक प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रकट होता है। बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस क्लेम पर आधारित वादी को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे कि अनावश्यक न्यायालयो का समय नष्ट ना हो। वाद में वर्णित बिन्दुओ पर वाद विधि बाधित होने के फलस्वरूप एंव वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के तहत बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है। इसलिए वादी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. व सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....6.1.25.......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner